रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 1997/बैशाख 2, 1919
No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, 22ND APRIL, 1997/VAISAKHA 2, 1919

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1997

सा. का. नि. 225 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 1997 है ।

(2) इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों को पहली नवम्बर, 1993 से प्रवृत्त समझा जाएगा ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन, नियम 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ण) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ग) उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वर्ग 3 या वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 जून 1993 को या उसके पश्चात् सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त होता है या उस की मृत्यु हो जाती है तथा जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी (निबन्धनों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार 10 मास से अनधिक के लिए मूल वेतन और भत्ते संदत्त किए गए हों अथवा वर्ग 1 या वर्ग 2 के ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 फरवरी, 1994 को या उसके पश्चात् सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हुआ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो तथा उसे यथास्थिति, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 1 अधिकारी (निबंधनों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 या भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (निबन्धनों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार 10 मास से अनधिक के लिए मूल वेतन और भत्ते संदत्त किए गए हों—

(i) मूल वेतन, जिसमें वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां, यदि कोई हो, भी शामिल है;

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए और मंहगाई भत्ते का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए गणना में लिए गए सभी भत्ते;

(iii) नियत वैयक्तिक भत्ता, जो वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि से अधिक नहीं होगा; और

(iv) ऐसे मामले में जो खण्ड (ञ) के परन्तुक के अन्तर्गत आता है या जहां वेतन और अन्य शर्तें केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियत की गई हों, औद्योगिक कर्मकारों के लिए 1960=100 श्रृंखला में अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 148 तक संगणित मंहगाई भत्ता जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पद के लिए अधिसूचित वेतनमान में उसके द्वारा लिए जा रहे मूल वेतन को लागू होगा।"

3. उक्त नियमों के पैरा 3 में, उपनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(9)(क) 28 जून, 1995 से पूर्व निगम की सेवा में पद ग्रहण किया हो और अधिसूचित की गई तारीख को उसकी सेवा में हो ; और

(ख) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग किया हो; और

(ग) भविष्य निधि के न्यासियों को, निगम के सम्पूर्ण अंशदान को, नियम 5 के अधीन इस प्रयोजनार्थ गठित निधि में उनकी भविष्य निधि में जमा किए जाने के लिए उस पर प्रद्भूत ब्याज सहित अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत किया हो;

टिप्पण :— (1) इस नियम के प्रयोजनार्थ, उपनियम (3) के सिवाय "अधिसूचित तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम 1997 के प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत होगी ।"

4. उक्त नियमों के नियम 7 में,—

उपनियम (1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को "स्पष्टीकरण" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार पुन: संख्यांकित स्पष्टीकरण (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण—2

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 1997 के प्रकाशन की तारीख को और से "वेतन" में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) मूल वेतन;

(ii) भविष्य निधि में अंशदान किए जाने और मंहगाई भत्ते के संदाय के प्रयोजनार्थ भी संगणित किए जाने वाले मंहगाई भत्ते से भिन्न भत्ते;

(iii) भत्ते जिस सीमा तक वे भविष्य निधि में अंशदान, मकान किराया भत्ते, उपदान और प्रोन्नति पर वेतन के पुन:नियतन के प्रयोजनार्थ गणना में लिए जाते हैं;

परन्तु यह कि निगम, कर्मचारी के भविष्य निधि में कोई अंशदान नहीं करेगी ।

5. उक्त नियमों के नियम 35 में, उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(8) नियम 2 के खंड (ञ) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले किसी कर्मचारी अथवा अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेंशन उपनियम (2) के अपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी। यह पेंशन उस पेंशन से कम नहीं होगी जितने के लिए वह तब हकदार होता जब यदि वह जोनल प्रबन्धक (चयन श्रेणी) की श्रेणी में बना रहता तो पेंशन उसे शोध्य और देय होती।"

6. उक्त नियमों में, नियम 36 के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 1 जून 1973 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए वर्ग 3 या वर्ग 4 के कर्मचारी जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (निबन्धनों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार 10 मास से अनधिक अवधि के लिए मूल वेतन और भत्ते संदत्त किए गए हों, के मामले में 720 रु. प्रतिमास ।"

7. उक्त नियमों के नियम 40 में, उपनियम 4 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण— इस उपनियम में, वर्ग 3 और वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारी जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (निबन्धनों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 के उपबन्धों के अनुसार 10 मास से अनधिक अवधि के लिए मूल वेतन और भत्ते संदत्त किए गए हों, के मामले में "1 नवम्बर 1993" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जून 1993" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।"

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 4 में—

(1) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उ पैरा (1) और पैरा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वर्ग 3 और वर्ग 4 के किसी कर्मचारी की दशा में जो 1 जून 1993 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हैं और जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी (निबन्धनों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार 10 मार्च से अनधिक के लिए मूल वेतन और भत्तों का संदाय किया जा चुका है, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 1149 प्वाइंट से ऊपर प्रत्येक 4 प्वाइंट के लिए मंहगाई राहत, यथास्थिति प्रत्येक बढोत्तरी के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी । ऐसे प्रत्येक उक्त 4 प्वाइंट के लिए मंहगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना ऊपर पैरा (2) में दी गई रीति से की जाएगी ।"

(2) पैरा 3, 4, 5 और 6 को क्रमश: 4, 5, 6 और 7 के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के परिशिष्ट 5 में, पैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"(ग) पैरा (क) या पैरा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वर्ग 3 और 4 के किसी ऐसे कर्मचारी की बाबत जो 1 जून 1993 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुआ है और भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और 4 कर्मचारी (निबन्धनों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार 10 मास से अनधिक के लिए मूल वेतन ओर भत्ते संदत्त किए गए हों, उन्हें कुटुम्ब पेंशन के साधारण दरों की संगणना ऊपर पैरा (ख) में विहित दरों के अनुसार की जाएगी।"

[फा० सं० 2(13) इंशोरेन्स-III/96]

सी. एस. राव, संयुक्त सचिव, (इन्शोरेन्स)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा के निबन्धों और शर्तों में पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन, नियम 1995 में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण :—मूल स्कीम अधिसूचना सं० 525(अ) तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं० का. आ. 265 (अ) तारीख 3 जुलाई 1996 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1997

G. S. R. 225 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government Hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India (Employees) Penson Rules, 1995, namely :—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension (Amendment) Rules, 1997.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1993.

2. In rule 2 of the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "said rules"), in close (o), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(c) notwithstanding anything contained in sub-clause (a) or sub-clause (b), in relation to an employee belonging to Class III or Class IV who retires or dies while in service on or after the 1st day of June, 1993 and who has been paid the basic pay and allowances for not less than ten months in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1996 or in relation to an employee belonging to Class I or Class II who retires or dies while in service on or after the 1st day of February, 1994 and who has been paid the basic pay and allowances for not less than ten months in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1996 or, as the case may be, the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1996,—

(i) the basic pay including the stagnation increments, if any;

(ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance, and

(iii) fixed personal allowances not exceeding the last increment in the scale of pay; and

(iv) in a case covered by the proviso to clause (j) or where the salary and other conditions have been fixed with the approval of the Central Government, the dearness allowance calculated upto Index Number 1148 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 applied on the basic pay drawn by him in the scale of pay notified by the Central Government for the post."

3. In rule 3 of the said rules, after sub-rule (8), the following shall be inserted, namely :—

"9 (a) joined the service of Corporation before the 28th day of June, 1995, and are in its service on the notified date;

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the date of publication of this notification to become member of the Fund; and

(c) authorise the trustees of the Provident Fund to transfer the entire contribution of the Corporation to their Provident Fund along with the interest accrued thereon to the credit of the Fund constituted for the purpose under rule 5,.

Note : For the purposes of this rule, other than sub-rule (3), "notified date" shall mean the date of publication of the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension (Amendment) Rules, 1997."

4. In rule 7 of the said rules,—

(1) the explanation below sub-rule (a) shall be numbered as "Explanation 1".

(2) after Explanation 1 so re-numbered, the following shall be inserted, namely :—

"Explanation 2 :

On and from the date of publication of the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension (Amendment) Rules, 1997, "pay" includes—

(i) the basic pay;

(ii) allowances other than dearness allowances which count for the purpose of making contribution to the Provident Fund and also payment of dearness allowance;

(iii) allowances to the extent they count for contribution to the Provident Fund, house rent allowance, gratuity and refixation of salary on promotion :

Provided that the Corporation shall not make any contribution to the account of the Provident Fund of the employee."

5. In rule 35 of the said rules, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be added, namely :—

"(8) Notwithstanding anything contained in these rules, in relation to and employee covered by the proviso to clause (j) of rule 2 or an employee appointed as a Managing Director under Section 20 of the Act, pension shall be calculated in accordance with the provisions of sub-rule (2). The amount of pension so calculated shall not be less than what he would have been entitled to, had he continued in the grade of Zonal Manager (Selection Scale), when the pension becomes due and payable to him."

6. In the said rules. in rule 36, after sub-rule (b), the following sub-rule shall be added, namely :—

"(c) rupees seven hundred and twenty per month in respect of an employee belonging to Class III or Class IV who has retired on or after the 1st day of June, 1993 and who has been paid the basic pay and allowances for not less than ten months in accordance with the provisions of the the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revison of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1996."

7. In the said rules, in rule 40, in sub-rule (4), after the clause (c), the following note shall be inserted,—

"Note.—In this sub-rule, for the figures and words "1st day of November, 1993" the figures and words "1st day of June, 1993", shall be substituted in respect of employees belonging to Class III or Class IV who have been paid the basic pay and allowances for not less than ten months in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revison of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1996 "

8. In the said rules, in Appendix IV,—

(i) after para (2), the following para shall be inserted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in para (1) and para (2), in respect of employees belonging to Class III or Class IV who have retired on or after the 1st day of June, 1993 and who have been paid the basic pay and allowances for not less than ten months in accordance with the provisions of the the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revison of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1996, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given in para (2) above."

(ii) Paras (3), (4), (5) and (6) shall be renumbered as (4), (5), (6) and (7), respectively.

9. In the said rules. in Appendix V, after para (b), the following para shall be inserted, namely,—

"(c) Notwithstanding anything contained in para (a) or para (b), in respect of of employees belonging to Class III or Class IV who have retired on or after the 1st day of June, 1993 and who have been paid the basic pay and allowances for not less than ten months in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revison of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1996, the ordinary rates of family pension shall be calculated as per the rates prescribed in para (b) above."

[F. No. 2 (13)/Ins. III/96]

C. S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Consequent upon the revision in the terms and conditions of service of the employees and officers of the Life Insurance Corporation of India, it has become necessary to amend the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995 with effect from the dates specified in the Notification.
2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be adversely affected by the notification being given retrospective effect.

FOOT NOTE :—

The principal rules were publised vide G. S. R. No. 525 (E) dated 28-6-1995 and subsequently amended vide G. S. R. No. 265 (E) dated 3-7-1996.

990GI/97-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997